संख्या-25/2025/64/60-1-2025

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 09 अप्रैल, 2025**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में परिवीक्षा सेवा क्षेत्र हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1016/निदे0म0क0/लेखा-बजट-वि0स्वी0/2025-26, दिनांक 31.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में पूर्णतया राज्य पोषित अधिष्ठान व्यय हेतु लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-08-परिवीक्षा सेवा क्षेत्र हेतु प्राविधानित कुल धनराशि रू0 5578.78 लाख (रूपये पचपन करोड़ अठ्हत्तर लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि **रू0 5578.78 लाख (रूपये पचपन करोड़ अठ्हत्तर लाख अठ्हत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि के उपयोग में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(8) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(9) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग GFR व समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों/आदेशों के अनुसार समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(11) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये स्थानान्तरित की जायेगी।

(12) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा।

(13) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि व्यय लोकहित में है और व्यय पर प्रभावी नियंत्रण किया जायेगा तथा आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण एवं मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

<u>लेखाशीर्ष: 2235021020800 (परिवीक्षा सेवा क्षेत्र)</u>

	अनुदान	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या			
1	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	01 वेतन	29,47,18,000 (रुपये उनतीस करोड़ सैंतालीस लाख अठारह हजार मात्र)
2	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	17,68,31,000 (रुपये सत्रह करोड़ अड़सठ लाख इकतीस हजार मात्र)
3	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	04 यात्रा व्यय	9,64,000 (रुपये नौ लाख चौंसठ हजार मात्र)
4	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3,40,000 (रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र)
5	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	06 अन्य भत्ते	11,30,000 (रुपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र)
6	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	07 मानदेय	57,000 (रुपये सत्तावन हजार मात्र)
7	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	57,78,000 (रुपये सत्तावन लाख अठहत्तर हजार मात्र)
8	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	09 विद्युत देय	1,99,41,000 (रुपये एक करोड़ निन्यानबे लाख इकतालीस हजार मात्र)
9	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	10 जलकर / जल प्रभार	6,24,000 (रुपये छह लाख चौबीस हजार मात्र)
10	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	52,69,000 (रुपये बावन लाख उनहत्तर हजार मात्र)
11	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17,57,000 (रुपये सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र)
12	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	6,24,000 (रुपये छह लाख चौबीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

13	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7,93,000 (रुपये सात लाख तिरानबे हजार मात्र)
14	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	22,66,000 (रुपये बाईस लाख छियासठ हजार मात्र)
15	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	42 अन्य व्यय	57,000 (रुपये सत्तावन हजार मात्र)
16	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	68,000 (रुपये अड़सठ हजार मात्र)
17	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,13,000 (रुपये एक लाख तेरह हजार मात्र)
18	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,67,000 (रुपये पाँच लाख सड़सठ हजार मात्र)
19	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	45,32,000 (रुपये पैंतालीस लाख बत्तीस हजार मात्र)
20	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
21	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	51 वर्दी व्यय	2,84,000 (रुपये दो लाख चौरासी हजार मात्र)
22	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	2,74,19,000 (रुपये दो करोड़ चौहत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र)
23	049	2235021020800 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	12,46,000 (रुपये बारह लाख छियालीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल			55,78,78,000 (रुपये पचपन करोड़ अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)
महायोग				**55,78,78,000** **(रुपये पचपन करोड़ अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-25/2025/64(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।